

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.03.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-38 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भुददी लाल पुत्र लाला नि० दानेपुर हथिनी खास थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-73/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. चन्द्रभवन पुत्र किशोरे नि० गनेशपुर ग्रन्ट पुरैना थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु०अ०सं०-68/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. भदई पुत्र मुन्ना नि० तारी परसोहिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-67/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनय कुमार निषाद उर्फ बल्ले पुत्र अंगनू नि० महेशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-72/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना कटराबाजार द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गंगा प्रसाद शुक्ला पुत्र नकछेद शुक्ला नि० पहाड़ापुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-65/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना करनैलगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पल्लू पुत्र हरिश्चन्द्र गौतम नि० मसौलिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-89/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को० देहात द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पुत्तू पुत्र रक्षाराम नि० बेसिया चैन थाना को० देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-88/21, 02. रमेश सिंह पुत्र गजराज सिंह नि० छिटनापुर थाना

कटराबाजार जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-89/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

08. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. महेश उर्फ पुच्ची पुत्र लगन नि0 राधेपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 09 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 250 ग्राम नौसादर, 600 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-161/21, 02. सुरेश पुत्र राम कुमारे नि0 मझरेठिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 250 ग्राम नौसादर, 300 ग्राम यूरिया व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर मु0अ0सं0-162/21, धारा 272 भादवि, 60/60(2) आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

09. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. मालती पत्नी नरायन नि0 मझरेठिया थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-164/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

10. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. लल्लन पुत्र नन्दराम नि0 नयापुरवा बनगांव थाना तरबगंज के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-62/21, 02. दिलीप कुमार पुत्र छेदी पासवान नि0 विशुनपुरवा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-63/21, 03. तिलकराम पुत्र मोतीलाल नि0 चॉदपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-64/21, 04. महाराज दीन पुत्र शंकर नि0 परसदा थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-65/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 01.03.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रोहित जायसवाल पुत्र स्व० देवी प्रसाद जायसवाल नि० म०नं० 271 रानी बाजार बड़गांव थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०-165/21, धारा 8/20, एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना को० नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 520 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 28.02.2021 की रात्रि थाना को० नगर के उ०नि० सर्वजीत गुप्ता मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गुरुनानक चौराहे के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 520 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को० नगर में एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ०नि० सर्वजीत गुप्ता।
02. उ०नि० जैद सिद्दकी।
03. का० रामदास।
04. का० संजय कुमार।